उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना की गाईड लाईन्स

1. योजनाः

जिला योजना के अन्तर्गत "उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कई वर्षों से संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर लघु उद्यमों को स्थापित करने हेतु अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी उद्यम को प्रारम्भ करने हेतु वांछित जानकारी एवं उद्यमों के सफल प्रबंधन एवं विपणन सम्बन्धी प्रशिक्षण इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम के अन्तर्गत अब विनिर्माणक(manufacturing) एवं सेवा क्षेत्र(service) इन्टरप्राईजेज दोनों के उद्यमी ज्ञापन जिला उद्योग केन्द्रों में फाइल किये जाने का प्राविधान है एवं दोनों क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यम स्थापना के विभिन्न चरणों तथा रोजगार के नये स्रोतों की महत्वपूर्ण सूचनायें उद्यमियों को उद्यमिता विकास कार्यकर्गों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं और इन सूचनाओं तथा मार्गदर्शन के आधार पर उद्यमियों को अपने उद्यम का भली–भांति विचार कर चयन करने में सहायता मिलती है। इन कार्यकर्मों के माध्यम से स्वरोजगार को युवाओं के लिये अन्य भविष्य की सम्भावनाओं(career opportunities) के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का भी लक्ष्य है। उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार एस0सी0/एस0टी0, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिये पृथक से भी कार्यकम आयोजित किये जा सकते हैं।

2. उद्यमिता विकास की आवश्यकता एवं उपयोगिताः

उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का महत्व अब और भी बढ़ गया है। पृथक राज्य के गठन के पश्चात् विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हुई प्रगति, अवस्थापना सुविधाओं के लगातार विकास के पश्चात् अब राज्य में स्वयं के उद्यम स्थापित करने की सम्भावनायें और बढ़ गई हैं, नौकरी के साथ व्यवहार्य एवं लाभप्रद लघु उद्यमों को स्थापित कर स्वरोजगार के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों के लिये भी रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं। प्रदेश में औद्योगिक क्रांति से देश–विदेश की बड़ी कम्पनियां प्रदेश में स्थापित हुयी हैं तथा वर्तमान में भी स्थापित हो रही है, जिससे राज्य के शिक्षित युवक/युवतियों में रोजगार प्राप्ति नई उम्मीद की किरण जगी है, परन्तु सम्भावित सूक्ष्म एवं लघु परियोजनाओं की समुचित जानकारी एवं इन्हें प्रारम्भ करने के लिये मार्गदर्शन की कमी के कारण स्वरोजगार/रोजगार से विमुख हैं एवं इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों का लाभ न उठा पाने से पलायन की समस्या जारी है। उद्यमिता विकास योजना के भली प्रकार से क्रियान्वयन से वेतन आधारित नौकरियों की सीमित सम्भावनाओं को देखते हुये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम की स्थापना के माध्यम से बेरोजगारी की विकट समस्या का समुचित समाधान ही नहीं होगा, अपितु प्रदेश मे आर्थिक प्रगति भी तेज होगी तथा राज्य के सर्वांगीण विकास में अभिवृद्धि होगी। अतः योजना के अधीन उद्यमिता के अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर व राज्य के कुछ चुने हुये स्थलों पर औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पादित किये जा सकते हैं, ताकि भावी व उत्साहित उद्यमियों के राज्य में उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भिक प्रशिक्षण, औद्योगिक जागृति व मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। चयनित उद्यमियों को विधिवत् प्रशिक्षण देकर उन्हें सफल उद्यमी बनाने में सहायता की जायेगी।

3. कार्यक्रम का लक्ष्य/उद्देश्यः

राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्वयं एवं अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राजकीय संस्थाओं के सहयोग से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। इनकी समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि

इनका गुणवत्ता एव उपयोगिता मे अभी और अभिवृद्धि की जा सकती है तथा इन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किये जाने की आवश्यकता भी है। यह बात प्रत्येक स्तर पर निर्विविदित रूप से स्वीकार की जा चुकी है कि विभिन्न संस्थाओं/विभागों की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित व्यक्तियों/भावी उद्यमियों तक पहुंचाना एक बड़ा कार्य है। जिला उद्योग केन्द्र को इस दृष्टि से सक्षम बनाये जाने के लिये उद्योग विभाग वर्षो से सतत् प्रयत्नशील है। जिला उद्योग केन्द्रों में स्थापित परामर्श कक्षों को लगातार सुदृढ़ कर प्रभावी बनाये जाने का सतत् प्रयास किया गया है। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी क्रियान्वयन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जा चुका है। यह योजना राष्ट्रीय महत्व की थी व अन्य राज्यों में इसकी तुलना करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में इसकी प्रगति एवं सफलता उत्साहजनक रही है। इस योजना के अन्तर्गत भी विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने का प्राविधान था। पिछले वित्तीय वर्ष 2008–09 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के स्थान पर एक नयी योजना "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया है। यह योजना उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्र तथा खादी ग्रामोद्योग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना में भी संयुक्त रूप से चलायी जा रही है।

"राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" का दिनांक 07 फरवरी, 2008 को भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किया गया है। यह योजना वस्तुत देश में उद्यमिता प्रशिक्षण का कार्य कर रही राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर की संस्थाओं इत्यादि को उद्यमी मित्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए लागू की गयी है। भविष्य में "राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" के अन्तर्गत चयनित संस्थाये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पात्र होंगी।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूप–रेखा:

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः वित्तीय व्यवस्था, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबन्धन, एकॉटिन्ग, इत्यादि जैसी विभिन्न प्रबन्धकीय और कार्यपूरक कुशलताओं की समुचित जानकारी प्रदान करना है।

वर्ष 2009–10 से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की पुनरीक्षित गाईडलाईन में निम्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(क) दो दिवसीय जागरूकता शिविर:

दो दिवसीय कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जनपद में उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों की प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं का प्रचार–प्रसार, स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु उपयुक्त एवं उत्साही युवाओं का चिन्हीकरण करना है। इस प्रकार चिन्हित युवाओं को आवश्यकतानुसार आगे अधिक अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थाओं के भ्रमण एवं बाजार का एक्सपोजर दिया जायेगा। ये कार्यक्रम इन्टरमीडिएट/डिग्री कालेज, पौलीटेक्निक, आई.टी.आई., इंजीनियरिंग, प्रबन्धन एवं व्यवसायिक संस्थानों में तथा विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।

चयन प्रक्रिया:

समुचित प्रशिक्षणार्थियों को इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग हेतु प्रेरित करने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा अन्य प्रचार–प्रसार के साधनों का उपयोग करते हुये किया जायेगा। संस्थानों/विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो एवं सम्बन्धित संकाय सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा। इन कार्यक्रमों में 25 से 50 की संख्या में युवाओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जायेगा। ये कार्यक्रम क्योंकि जागरूकता शिविरों के रूप में आयोजित किये जाने हैं, अतः अधिक से अधिक व्यक्तियों को विभागीय योजनाओं/उद्योग स्थापना सम्बन्धी मार्गदर्शन व जानकारी दिये जाने का प्रयास किया जायेगा। यदि किसी क्षेत्र में एस0सी0/एस0टी0 की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो तो वहां पर उक्त श्रेणी के लिए कार्यक्रम बजट की उपलब्धता के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र आयोजित करेंगे। उक्त दो दिवसीय कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्र के स्टाफ के साथ–साथ अन्य विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा, जो अपने संस्थान अथवा विभाग की योजनाओं

एव जनपद के भौगोलिक स्थिति एवं संसाधनों के अनुरूप सम्भावित उद्यमों के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यह भी प्रयास किया जायेगा कि वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन उद्योगों की मैनपावर/अन्य जरूरतों की मांग पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाय।

इन कार्यक्रमों में उद्योग विभाग के उद्यमिता विकास के दीर्घकालीन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी दी जायेगी, ताकि दीर्घकालीन कार्यक्रमों में वे अभ्यर्थी शामिल हो सकें, जो स्वरोजगार प्रारम्भ करने के प्रति दृढ़ संकल्पित हों।

उक्त दो दिवसीय कार्यक्रम "उद्यमिता विकास प्रशिक्षण" का प्रारम्भिक एवं Preparation चरण है। अतः इन कार्यक्रमों का निर्धारण करते हुये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा इनके माध्यम से अधिकाधिक जागरूकता एवं जानकारियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों हेतु निम्न मदों पर धनराशि का व्यय किया जायेगा:–

क्र0 सं0	मद	धनराशि (रू0 में)
1.	मानदेय	1000/–
2.	व्यवस्था व्यय (भवन किराया, विद्युत, फर्नीचर, सजावट व अन्य यदि जिला उद्योग केन्द्र के पास उपलब्ध न हो तो।)	2500/–
3.	जलपान आदि पर व्यय	2000/–
4.	पाठ्य, प्रचार सामग्री व अन्य	4500/–
	योग :–	10,000/–

महाप्रबन्धक कुल उपलब्ध धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार कर सकते हैं एवं उपरोक्त ब्रेक–अप मार्गदर्शन हेतु दिया गया है और आन्तरिक मदों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

(ख) तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को रोजगारपरक विषयों की समुचित जानकारी व तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने उद्यमों का चयन कर इन्हें सफलतापूर्वक स्थापित कर इनका कुशल प्रबन्धन एवं विपणन कर सकें।

चयन प्रक्रिया:

जागरूकता शिविरों में चिन्हित उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा। विज्ञापन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में पर्याप्त समय पूर्व प्रकाशित किये जायेगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम सामान्य एवं उद्योग विशेष दोनों के लिये होंगे। यथासम्भव जनपद की सम्भावनाओं के आधार पर चयनित विशिष्ट उद्यमों के लिये आयोजित किये जायेंगे। इन्हें उन संस्थाओं, जो पात्रता की निम्न शर्तें पूर्ण करती हों, से आयोजित कराया जायेगा। संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर Open selection prep द्वारा चयन होने तक चयनित किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्र उन्ही संस्थाओं/अन्य के प्रस्ताव निदेशालय को भेजेंगे, जिनके पास प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अवस्थापना सुविधायें, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त फैकल्टी एवं पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध हो।

प्रत्येक जनपद में तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष भर आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक कार्यक्रम हेतु दो दिवसीय जागरूकता शिविर से प्रशिक्षार्थी लिये जायेंगे। अन्य स्रोतों जैसेः आई0टी0आई0, बी–टैक, एम–टैक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए करे हुए, मान्यता प्राप्त निजी/सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यवसायिक संस्थान के छात्र व छात्राओं हेतु भी किसी संस्था की मांग के अनुसार तीन साप्ताहिक कार्यक्रम किया जा सकता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 75,000/– का व्यय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है तथा संस्था द्वारा फालोअप पूर्ण करने पर ही प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत का भुगतान जिला उद्योग केन्द्र संस्था को करेंगे।

क0सं0	मद	धनराशि रू0 में
1–	प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन	5000/–
2–	औपचारिक समारोह का आयोजन(उद्घाटन समापन आदि)	10,000/–
3–	अध्ययन सामग्री	5000/–
4–	टेन्ट फर्नीचर, भवन किराया आदि	10,000/–
5–	संकाय को मानदेय/यात्रा व्यय आदि	15,000/–
6–	प्रशिक्षार्थियों का भ्रमण	8000/–
7–	अनुश्रवण शिविर व पत्राचार	7000/–
8–	संस्थान के ओवरहैड	10,000/–
9–	स्टेशनरी व प्रिन्टिग व्यय	5000/–
	योगः–	75,000/–

महाप्रबन्धक कुल उपलब्ध धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार कर सकते हैं एवं उपरोक्त ब्रेक–अप मार्गदर्शन हेतु दिया गया है और आन्तरिक मदों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी मद में अत्यन्त कम या अत्यधिक व्यय न किया जाय। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपयुक्त फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने पर इस मद में अतिरिक्त व्यय अधिकतम सीमा के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(ग) **पर्वतीय क्षेत्र हेतु एक माह का आवासीय (Residential) कार्यक्रमः**

वर्तमान में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकतानुसार केवल पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु यह नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय गुणवत्ता व पूर्णतः टैकनीकल होगा। भारत सरकार की संस्थाये/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाये/राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत केटीगरी– 1, 2 व 3 में सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों में से ही यह कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे। यह कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत योजना में उपलब्ध बजट/जिला योजना में उपलब्ध धनराशि को देखते हुये आयोजित किये जायेंगे। यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम योजना में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय होता है, तो इसे वहन किया जायेगा। इस हेतु पर्वतीय योजना में उपलब्ध धनराशि के लिए प्रस्ताव निदेशालय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशालय के अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। संस्था का निर्धारण व पर्वतीय क्षेत्र के किस जनपद में कितने कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, का निर्धारण निदेशालय स्तर से किया जायेगा। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन प्रशिक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार राज्य के अन्दर औद्योगिक भ्रमण भी कराया जा सकता है।

इन प्रशिक्षार्थियों के फालोअप की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से नामित अधिकारी की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी। फालोअप में एक माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था आपसी समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित जनपद में स्थापित/स्थापनाधीन विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करेंगी कि वे फालोअप में आयें व अपनी आवश्यकतानुसार फालोअप में भाग ले रहे प्रशिक्षार्थियों का चयन करें।

पर्वतीय जनपदों (अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, चम्पावत) में निम्नवत् व्यय इस योजना के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

कुल व्यय आवासीय (Residential) प्रति बैच

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि (रू0 हजार में)
1	प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन	5000/–
2	औपचारिक समारोह का आयोजन (उद्घाटन समापन आदि)	10,000/–
3	अध्ययन सामग्री	5000/–
4	प्रशिक्षण स्थल, भोजन एवं आवास व्यवस्था	57000/–
5	संकाय को मानदेय/यात्रा व्यय आदि	15000/–
6	प्रशिक्षार्थियों का भ्रमण	8000/–
7	अनुश्रवण शिविर व पत्राचार	7000/–
8	संस्थान के ओवरहैड	10,000/–
9	स्टेशनरी व प्रिन्टिंग व्यय	5000/–
	कुल व्यय	1,22,000/–

कुल रू0 1,22,000/– मात्र के अतिरिक्त यदि प्रशिक्षार्थियों हेतु राज्य में औद्योगिक भ्रमण की व्यवस्था की जाती है तो इस हेतु रू0 25,000 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, अतिरिक्त संस्था को देय होगा, जिसका प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाना होगा तथा संस्था को सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान का नाम व भ्रमण का expected outcome भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था को देय व्यय के 25 प्रतिशत का भुगतान फालोअप के पूर्ण व सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु इस एक माह के आवासीय (Residential) प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ सम्भावित विषय नीचे दिये गये हैं। जनपद की आवश्यकता एवं सम्भावनाओं को देखते हुये अन्य relevent विषय लिये जा सकते है:-

1. Computer software & hardware course
2. Foam based fancy domestic items
3. Tourist guide/tourism related activities
4. Soft toys
5. Mobile phone & electric item servicing
6. Fruit processing
7. Digital photography
8. Steel fabrication & Sheet metal
9. Fashion designing.
10. Any other specialised trade.

ये कार्यकम जनपद में अथवा राज्य में अथवा राज्य से बाहर किसी संस्थान में आयोजित किये जा सकते हैं।

5. **दीर्घ अवधि (छह माह तक) के प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

यदि किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी व स्वायत्तशासी विशिष्ट/तकनीकी संस्थान या संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा कोई दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हों या ये कार्यक्रम औद्योगिक गतिविधियों से सम्बन्धित संचालित किये जाते हैं, तो विभाग इनका आंशिक अथवा आवश्यकतानुसार धनराशि की उपलब्धता पर पूर्ण भुगतान कर सकता है। ऐसा कार्यक्रम उपलब्ध होने पर प्रारम्भ में प्रायोगिक तौर पर ही वित्त पोषित किये जायेंगे।

6. संस्थाओं हेतु पात्रता की शर्तें :

क सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं जिनके पास कौशल आधारित प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त फैकल्टी व प्रशिक्षण स्थल हो।

ख सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम उद्यम संस्थान (NIMSME) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान, उनकी शाखाएं और उनके सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केन्द्र।

ग सरकार/विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाएं/तकनीकी महाविद्यालय जिनके पास तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त फैकल्टी हो/प्रदेश के आई0टी0आई0 संस्थान/अन्य संस्थान जो कौशल आधारित प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त हो।

घ राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्र।

7. प्रशिक्षार्थियों हेतु पात्रता की शर्तें:

क 18 वर्ष से अधिक व 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

ख शैक्षिक स्तर 8वी कक्षा या उससे अधिक मान्य।

ग प्रशिक्षार्थी किसी बैंक का डिफाल्टर नही होना चाहिए।

घ उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी/मूल निवासी।

8. प्रशिक्षकों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण:

इस योजना के अधीन उद्यमिता प्रशिक्षण कार्य में लगे निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्र के स्टाफ को प्रदेश में व प्रदेश से बाहर राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटि तथा प्रबन्धकीय व तकनीकी संस्थानों के अधीन उद्योगों की आधुनिक तकनीकी प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि वे उद्यमियों को आधुनिक परिवेश में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हो सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों एवं फील्ड स्तर के सांख्यकीय सहायक, सहायक प्रबन्धक, सहायक विकास अधिकारी प्रथम स्तरीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय संस्थायें, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट फार इन्टरप्रीनियोरशिप एण्ड स्माल विजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD) नई दिल्ली, भारत सरकार का प्रतिष्ठान एन.आई.एस.आई.ई.टी. (NISIET) लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य एवं राज्य के बाहर स्थापित मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित प्रबन्ध संस्थान/औद्योगिक तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0)/ एन0जी0ओ0 इत्यादि जो बदलते आर्थिक परिवेश के अधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं, इनमें से कतिपय संस्थानों का वार्षिक कलैण्डर तथा व्यय/रजिस्ट्रेशन फीस की सीमा निर्धारित है। अतः इन संस्थानों में अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजने अथवा आवश्यक व उचित समझे जाने पर उद्यमियों अथवा विभाग के प्रतिनिधि को भेजे जाने का व्यय योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता पर वहन किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों व औद्योगिक आस्थानों का व्यवहारिक भ्रमण, जो आवश्यकतानुसार अपेक्षित व उचित होगा, का भी योजनान्तर्गत वहन किया जायेगा, किन्तु ये कार्यक्रम भी बजट उपलब्धता तथा नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयोजित किये जायेंगे।

<u>प्रशिक्षकों की उपलब्धता हेतु राज्य में जनपद स्तर पर विश्वविद्यालयों/टेक्नीकल तथा निजी कालेजों/राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों/एन0जी0ओ0 इत्यादि के प्रशिक्षित फैकल्टियों की एक लिस्ट भी जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बनायी जायेगी, जिनकी सेवायें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ली जायेंगी। यदि जनपद स्तर पर पर्याप्त faculty उपलब्ध न हो, तो दूसरे जनपद से उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है।</u>

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का फालोअप/अनुश्रवण:

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित प्रशिक्षार्थियों का फालोअप सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। महाप्रबन्धक/प्र0महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था से अपने निर्देशन में फालोअप करायेंगे। फालोअप पूर्ण होने तथा निदेशालय के फालोअप पर सहमति देने व संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय हुयी धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् ही जिला उद्योग केन्द्र संस्था को उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की देय धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र से यह अपेक्षा है कि वे संस्था को कार्यक्रम आवंटित करने से पहले इन नियमों से अवगत करा दें ताकि उत्कृष्ट संस्थाओं का उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु चयन जनपद स्तर पर किया जा सके। यदि संस्था फालोअप में कोई रूचि नही दिखाती अथवा फालोअप शुरू करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिए गए अनुस्मारक पत्रों के तीन प्रयासों के उपरान्त या कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद, जो भी पहले हो, फालोअप की प्रक्रिया शुरू नही होती है, तो जिला उद्योग केन्द्र अन्तिम चेतावनी के रूप में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पत्र संस्था को प्रेषित करेगा ताकि संस्था फालोअप को बाध्य हो सके। परन्तु यदि संस्था जिलाधिकारी के पत्र के एक सप्ताह के भीतर भी फालोअप नही करती तो सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा फालोअप राशि पर रोक की संस्तुति के उपरान्त जिला उद्योग केन्द्र अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त संस्था को तीन वर्ष तक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम न देने हेतु जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति के पश्चात् निदेशालय को अनुरोध करेगा जिस पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फालोअप के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश नीचे दिये गये हैं:-

प्रस्तावना:

अनुश्रवण चरण, औपचारिक कक्ष प्रशिक्षण के उपरान्त शुरू होता है। कक्ष की जानकारी अधिकतर सिद्धान्तों पर आधारित होती है, वहीं अनुश्रवण चरण व्यवहारिक होता है। इसी चरण के दौरान अधिकांश प्रशिक्षार्थी अपने ऋण आवेदन प्रपत्र दाखिल करते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं, और भूमि तथा भवन की व्यवस्था करते हैं, मशीनें खरीदते और लगवाते हैं और अन्त में आर्थिक उत्पादन शुरू करते है। इसी चरण में कभी-कभी प्रशिक्षार्थी और उनके प्रशिक्षक को सबसे अधिक हतोत्साहित होना पड़ता है, विशेषकर यदि सहायक संस्थायें वांछित सहयोग प्रदान न करें। परन्तु अनुभव से ज्ञात होता है कि एक सुनियोजित और व्यवस्थित अनुश्रवण नीति काफी हद तक असफलताओं और उससे होने वाली कुंठा को कम करने में सहायक होती है।

पहला चरण: व्यक्तिवृत्त बनाना (केस स्टडी):

प्रशिक्षण की समाप्ति पर, प्रशिक्षार्थी की फाईल तैयार होनी चाहिए जिसमें उनकी क्षमताएँ और कमजोरियां, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्यनीति का उल्लेख हो। हर फाईल के ऊपर निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होने चाहिए।

1. प्रशिक्षक का नाम।
2. केन्द्र का नाम और समूह संख्या (बैच नम्बर)
3. कार्यक्रम तिथि ..... से ..... तक।
4. फाईल संख्या (प्रशिक्षार्थी संख्या)
5. प्रशिक्षार्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम।
6. प्रशिक्षार्थी का पता।
7. प्रशिक्षार्थी का सम्पर्क/दूरभाष/मोबाइल/ई-मेल।

प्रथम प्रलेख में प्रशिक्षार्थी का व्यक्तिगत प्रपत्र/विकास प्रपत्र होना चाहिए। प्रपत्र के पहले

दोनो पृष्ठों पर इकाई स्थापित करने के विभिन्न चरण तिथिवार अंकित होने चाहिए तथा प्रशिक्षार्थी के उपरोक्त चरण पूर्ण करने की तिथि का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रपत्र के तीसरे और चौथे पृष्ठ पर अनुश्रवण विवरण तीन विभागों में दिया जायें, जैसे: तिथि, विशेष विवरण और टिप्पणी। (प्रपत्र की रूपरेखा के संलग्नक– 1 देखें।) जैसे–जैसे अनुश्रवण आगे बढ़े, प्रत्येक बैठक की सूची का विवरण प्रशिक्षार्थी के प्रपत्र में भरते जायें। फाईल में प्रशिक्षार्थी या उसकी तरफ से की गयी किसी भी सहायक संस्थाओं जैसे बैंक, जिला उद्योग केन्द्र, बिजली विभाग, जल विभाग, या अन्य विभाग से पत्राचार की एक–एक प्रतिलिपि भी अवश्य संलग्न होनी चाहिए। साथ ही सभी पत्राचार और अवतरण तथा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की एक प्रतिलिपि भी फाईल में रखें, इससे आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने में सहायता मिलेगी। वस्तुस्थिति के आधार पर प्रशिक्षार्थियों को चार मुख्य भागों में विभाजित कर सकते है:

जल्दी उद्योग शुरू करने वाले:

वह प्रशिक्षार्थी जो अपनी परियोजना स्थापित करने के कई चरण पूर्ण कर चुके हो, जैसे मशीन मंगवाना या ऋण प्राप्त करना, मशीन का आर्डर देना या भूमि और भवन की व्यवस्था आदि।

मध्यम उद्यमी:

वह प्रशिक्षार्थी जिन्होंने अपनी इकाई की उन्नति के प्रति कुछ सजगता दिखायी हों और इकाई स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृत करवा चुके हों, या ऋण के लिए आवेदन कर चुके हों या परियोजना प्रपत्र बना चुके हों और ऋण के आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर चुके हों आदि।

पिछड़े उद्यमी:

वह प्रशिक्षार्थी जो अभी भी बाजार सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगे हो परन्तु उन्हें अपना उत्पादन/परियोजना निश्चित करना शेष हों, या अभी अपने ऋण आवेदन प्रपत्र तैयार कर रहे हों, लेकिन वे इन गतिविधियों में गम्भीरता से जुड़ हों।

सन्देहात्मक उद्यमी:

वह प्रशिक्षार्थी जो इस प्रक्रिया में विशेष रूचि नही दिखाते तथा जो प्रशिक्षक से भी जल्दी सम्पर्क नहीं करते।

प्रशिक्षक को बीच के विभागों के लोगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। पहले प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षक से किसी विशेष सहायता की आवश्यकता नही पड़ेगी, उन्हें सिर्फ कुछ परामर्श की ही आवश्यकता होगी। परन्तु अन्तिम प्रकार के प्रशिक्षार्थियों के साथ शायद कोशिश के अनुरूप परिणाम मिलना भी मुश्किल हो। दूसरे प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को अधिक परामर्श, तीसरे प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षक से अधिक प्रोत्साहन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षक को तीसरे प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को उत्पादन चयन परियोजना प्रपत्र बनाने और बाजार सर्वेक्षण में सक्रिय सहायता प्रदान करनी होगी। प्रशिक्षक को दूसरे प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को, सहायक संस्थाओं से सम्पर्क तथा ऋण प्राप्त करने में सहायता या संसाधन जुटाने, तकनीक और मशीन के चयन और उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्रदान करनी पड़ सकती है। क्योंकि अनुश्रवण व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के साथ करना पड़ सकता है इसलिए प्रशिक्षक को उतने प्रकार की ही नीतियों की आवश्यकता होती है, जितने की उसके प्रशिक्षार्थी।

प्रशिक्षक को अनुश्रवण के दौरान संस्थागत् रूप से प्रशिक्षार्थियों को बॉट लेना चाहिए जिनमें अधिक सहायता की आवश्यकता हो। जैसे एक विभाग उन मामलों का हो सकता है जो बैंक से सम्बन्धित हों और जिला उद्योग केन्द्र में प्राथमिक पंजीकरण में अटके मामले दूसरे विभाग में रखे जा रहें जा सकते हैं आदि।

द्वितीय चरण: युवा उद्यमियों का क्लब बनाना:

दूसरे चरण में प्रशिक्षार्थी समूह को एक अनौपचारिक क्लब के अन्तर्गत जोड़ा जा सकता है, जिससे वह एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर सकें और यदि आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के लिए आवाज उठा सके। उनमें से एक मार्गदर्शन समिति का प्रतिनिधि भी हो सकता है। समूह एवं सामुदायिक भावना को जागृत करने का प्रयास भी उपयुक्त होगा।

तृतीय चरण: अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन:

अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन के समय प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के केस को तैयार करने के पश्चात् प्रशिक्षक को तृतीय चरण में अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन की प्रथम बैठक आयोजित करनी चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की प्रगति के अनुसार उन्हें आवश्यक संस्थागत सहायता और अन्य सहायता प्रदान करना होना चाहिए। इसमें सदस्यों और प्रशिक्षार्थियों को आमंत्रित करना चाहिए। बैठक को तीन भागों में विभाजित कर लेना उचित होगा। पहले चरण में सभी सदस्यों को प्रशिक्षार्थियों द्वारा की गयी प्रगति से संक्षेप में अवगत कराये और यह बताये कि उन्हें किस सहायता की आवश्यकता है। दूसरे चरण में प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार करें और तीसरे चरण में आवश्यक निर्णय लें (एक कार्य योजना बनायें जिसमें प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य को विशेष जिम्मेदारियां प्रदान करें) इस पूरी प्रक्रियां में, अधिकतम प्रथम बैठक में 2 घन्टे और बाद की बैठकों में अधिकतम 1 घन्टा लगना चाहिए।
बैठक के आमंत्रण के साथ, कृपया सदस्यों को बैठक के पूर्ण मुद्दे भी भेजे। इसके साथ ही सभी सदस्यों को प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की प्रगति तालिका के रूप में भेजे जिससे वह बैठक में तैयार हो कर आ सकें।

बैठक की कार्यवाही को लिखना और वितरित करना:

अनुश्रवण बैठक की सभी चर्चा, बहस और निर्णय लिखकर रखे जाने चाहिए। इस नीति से प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थियों को कई सहायक संस्थाओं से अपनी समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिल सकती है। यह आवश्यक है कि मुख्य निर्णय स्पष्ट रूप से लिखे जाय और उसमें कोई दुविधापूर्ण बातें न हो जिससे उनका क्रियान्वयन शीघ्र हो सके।

बैठक के आधार पर अनुश्रवण कार्य योजना तैयार करना:

सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षार्थियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कार्य योजना विकसित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे वह अपनी इकाई शीघ्र शुरू कर सकें। प्रशिक्षकों को बैठक में प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मामलें में दिए गए मुख्य निर्णय से भी उन्हें अवगत कराना चाहिए और उचित कार्यवाही करने का सुझाव देना चाहिए। प्रशिक्षक स्वयं भी प्रशिक्षार्थियों के किस्सों का सहायक संस्थाओं में अनुश्रवण कर सकता है। कुछ दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों की सामान्य समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कैम्प आयोजित कर लेते है। जैसे वह बैंक अधिकारी के साथ एक ऐसा दिन निश्चित कर सकते है जब सभी प्रशिक्षार्थी अपने ऋण आवेदन पत्र जमा करें और इसी प्रकार बैंकर के साथ एक ऐसा समय निश्चित कर सकते है जब वह प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की फाईल में आयी समस्याओं और उनके सम्भावित निदान के लिए प्रशिक्षार्थियों को निर्देशित कर सकते है। इस प्रकार की नीति उद्यमिता की प्रक्रिया को तेज करने में सहायक होगी।

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय अथवा प्रदर्शन हेतु व्यय:

उद्यमियों को आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु यदि किसी उपकरण अथवा प्रदर्शन (Demonstration & Display) सामग्री की यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उसे योजना के अधीन वहन किया जायेगा। योजना के अधीन उपरोक्त कार्यक्रमों में यदि किन्हीं कारणवश बचत होती है, तो उसका उपयोग उपलब्ध बजट को देखते हुये इसी योजना के अन्य कार्यक्रम में किया जा सकेगा।

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड।